कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पीछे माणकचौक जयपुर)

क्रमांक :– एफ–12 / ( ) ननिज / DAY-NULM / 2025 / 80 दिनांक :– 16/09/2025

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest -EOI) का आमंत्रण 2025–26 / 03

नगर निगम जयपुर हैरिटेज की ओर से आश्रय विहीन एवं बेघर व्यक्तियों हेतु आश्रय स्थल संचालित है, इन आश्रय स्थलो के रख–रखाव एवं संचालन हेतु रजिस्ट्रर्ड संस्थाओं / एन.जी.ओ. के माध्यम से निम्नानुसार आश्रय स्थल का संचालन व प्रबन्धन करवाने के लिए एक वर्ष हेतु EOI के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

Cost of RFP document (non-refundable)	**Rs 500/-(Rupees Five Hundred Only) for each work**
Bid Security (refundable)	**Rs. 12000/- (2% of estimated cost. i.e 6,50 ,000/-) for each work**
Publishing Date &Time	**17-09-2025**
Request for Proposal Submission Start Date & Time	**19-09-2025 at 10:00 AM**
Request for Proposal Submission End Date & Time	**25-09-2025 at 4:00 PM**
Bid Opening Date & Time	**26-09-2025 at 11:00 AM**
Bid Validity Date	**90 Days**
Websites for downloading Request for Proposal	**www.jaipurmcheritage.org, www.SPPP.rajasthan.gov.in**
Total Cost	**26,00,000/-**

शर्ते :–

1. आवेदनकर्ता को आवेदन शुल्क, अमानता राशि एवं प्रोसेसिंग फीस को पृथक–पृथक ऑन लाईन नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट www.jaipurmcheritage.org पर Submission End Date & Time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना होगा या उक्त राशियों को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भी आवेदन पत्र के साथ सलंग्न किया जा सकता है। डिमान्ड ड्राफ्ट आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज के नाम से देय होगा।
2. प्रत्येक आश्रय स्थल हेतु पृथक आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र परिशिष्ठ "ब" पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन हेतु सलंग्न है।
3. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र एवं नियम लागू होंगे।
4. संस्थाओं / एन.जी.ओ. को पेन कार्ड एवं पंजीयन की प्रमाणित फोटो प्रति EOI के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।
5. आश्रय स्थलों के संचालन का कार्य जहॉ है जैसा है के आधार पर दिया जाएगा, आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व आश्रय स्थलों पर मौजूद सुविधाओं का भलीभाति निरीक्षण कर लें।
6. सशर्त EOI मान्य नहीं होगी एवं बिना किसी कारण बताए कोई भी EOI अस्वीकृत / निरस्त करने का अधिकार आयुक्त महोदय नगर निगम जयपुर हैरिटेज के पास सुरक्षित रहेगा।
7. EOI खोलेन की तिथि को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में EOI खोली जांवेगी।
8. संस्था / संगठन की नीति आयोग के दर्पण के माध्यम से यूनिक आईडी प्राप्त किया हुआ होना चाहिए तथा यूनिक आईडी की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न होनी चाहिए।
9. फर्म द्वारा ईपीएफ और ईएसआई विभाग में नियमानुसार रजि0 की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
10. आश्रय स्थल का विवरण परिशिष्ठ "अ" पर सलंग्न है।
11. इच्छुक आवेदको आपना आवेदन पत्र मय आवयश्यक दस्तावेज बन्द लिफापे में नगर निगम जयपुर हैरिटेज के DAY-NULM शाखा के कमरा नं0 141 में EOI समाप्ति की दिनांक व समय से पूर्व अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त EOI से संबधित विवरण एवं शर्ते www.jaipurmcheritage.org, www.SPPP.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

उपायुक्त (DAY-NULM)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्रमांकः– एफ–12 / ( ) ननिज / DAY-NULM/2025 / दिनांकः–

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. श्रीमान् आयुक्त / अतिरिक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. जनसम्पर्क अधिकारी नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेज कर लेख है कि दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
3. प्रबंधक ओसवाल को भेज कर लेख है कि उपरोक्त निविदा को नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट www.jaipurmcheritage.org] www.SPPP.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
4. नोटिस बोर्ड

Signature valid
Digitally signed by Devanand Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.09.16 11:54:44 IST
Reason: Approved

उपायुक्त(DAY-NULM)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

RajKaj Ref No.: 17775293

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज (हवामहल के पीछे माणकचौक जयपुर)	150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
क्रमांक :— एफ–12/( ) ननिज/DAY-NULM/2025/80	दिनांक :—16/09/2025

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest -EOI) का आमंत्रण की सूचना

नगर निगम जयपुर हैरिटेज की ओर से दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के तहत नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र सीमा में DAY-NULM की गाईडलाईन के दिशा निर्देशानुसार आश्रय स्थलों का संचालन एवं प्रबन्धन हेतु रजिस्टर्ड गैर सरकारी स्वंय सेवी संस्थाओं/संगठनों/एसोसियेशन से प्रस्ताव आंमत्रित किये जाते है।

आश्रय स्थलों का विस्तरित विवरण (EOI) में उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक नगर निगम जयपुर हैरिटेज के DAY-NULM शाखा के कमरा नं0 141 में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

विस्तृत अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI), संबंन्धित कार्यो की विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्ते आदि www.jaipurmcheritage.org, www.SPPP.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

उपायुक्त (DAY-NULM)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्रमांक :— एफ–12/( ) ननिज/DAY-NULM/2025/ दिनांक :—

प्रतिलिपिः—

1. जनसम्पर्क अधिकारी नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेज कर लेख है कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
2. प्रबंधक ओसवाल को भेज कर लेख है कि उपरोक्त निविदा को नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट www.jaipurmcheritage.org] www.SPPP.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें
3. नोटिस बोर्ड, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
4. गार्ड फाईल।

उपायुक्त (DAY-NULM)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

Signature valid
Digitally signed by Devanand Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.09.16 11:54:44 IST
Reason: Approved

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पीछे माणकचौक जयपुर)

क्रमांक :— एफ—12/( ) ननिज/DAY-NULM/2025/80 दिनांक :— 16/09/2025

परिशिष्ठ (ब)

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest -EOI) हेतु आवेदन पत्र 2025—26/03

(प्रत्येक आश्रय स्थल हेतु अलग—अलग आवेदन करे)

आवेदनकर्ता का नामः...

आवेदनकर्ता का पताः...

आवेदित आश्रय स्थल का नाम...

मोबाईल नं0...

ई—मेल आई डी...

पेन कार्ड नं0 (प्रति सलंग्न करें, यदि हो तो) ....

जी.एस.टी. नं0 (प्रति संलग्न करे, यदि होतो)..

संस्था के बैक खाते का विवरण (निरस्त चेक की प्रति सलंग्न करे)...............................

प्रतिभूति राशि का विवरण व दस्तावेज (रसीद व डिमान्ड ड्राफ्ट)..................................

संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता व आधार कार्ड तथा संस्था द्वारा अधिकृत करने का पत्र...

घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि समस्त शर्ते भलीभांति पढ़ व समझ ली है तथा स्वीकार है। स्वीकृति स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर कर दिये गए है।

Signature valid
Digitally signed by Devanand Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.09.16 15:54:44 IST
Reason: Approved

EOI के सम्बन्ध में निर्देश

1. आवेदनकर्ता को आवेदन शुल्क, अमानता राशि एवं प्रोसेसिंग फीस को पृथक–पृथक ऑन लाईन नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट www.jaipurmcheritage.org पर Submission End Date & Time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना होगा व उक्त राशियों को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भी जमा करा कर आवेदन पत्र के साथ सलंग्न किया जा सकता है। डिमान्ड ड्राफ्ट आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज के नाम से देय होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र एवं नियम लागू होंगे।
3. संस्थाओं/एन.जी.ओ. को पेन कार्ड एवं पंजीयन की प्रमाणित फोटो प्रति EOI
4. के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।
5. आश्रय स्थलों के संचालन का कार्य जहॉ है जैसा है के आधार पर दिया जाएगा, आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व आश्रय स्थलों पर मौजूद सुविधाओं का भलीभाति निरीक्षण कर लें।
6. सशर्त EOI मान्य नहीं होगी एवं बिना किसी कारण बताए कोई भी EOI अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज के पास सुरक्षित रहेगा।
7. EOI खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में EOI खोली जावेगी।
8. संस्था/संगठन की नीति आयोग के दर्पण के माध्यम से यूनिक आईडी प्राप्त किया हुआ होना चाहिए तथा यूनिक आईडी की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न होनी चाहिए।
9. फर्म द्वारा ईपीएफ और ईएसआई विभाग में नियमानुसार रजि0 की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. प्रत्येक आश्रय स्थल हेतु आवेदन शुल्क, अमानता राशि एवं प्रोसेसिंग फीस ऑन लाईन पृथक–पृथक जमा कराना अनिवार्य होगा।
11. प्रत्येक आश्रय स्थल हेतु पृथक आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र परिशिष्ठ ''ब'' पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन हेतु सलंग्न है।
12. आश्रय स्थल का विवरण परिशिष्ठ ''अ'' पर सलंग्न है।
13. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत EOI में समान अंक प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय EOI हेतु गठित समिति द्वारा किया जावेगा, जो मान्य होगा।
14. उक्त EOI से संबधित विवरण एवं शर्ते www.jaipurmcheritage.org, www.SPPP.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

Signature valid

Digitally signed by Devanand Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.09.16 11:54:44 IST
Reason: Approved

योग्य व अनुभवी संस्था के चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड

इस कार्य का मुख्य उद्देश्य बैघर एवं आश्रय विहीन व्यक्तियों को व्यवस्थित सम्मानजनक आश्रय उपलब्ध कराना है अतः चयन का अधार लागत न होकर गुणवता व अनुभव है। गुणवत्ता व अनुभव का आधार निम्नानुसार रखा गया है जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था चयनित होगी तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का मासिक भुगतान संचालन कार्य पर किया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी के तहत स्वंय के संसाधनों से संचालन का प्रस्ताव देने वाली कम्पनियों/संस्थाओं को सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी।

क्र.स.	अनुभव व गुणवत्ता का आधार	अधिकतम अंक 100
1	संस्था का रजिस्ट्रेशन	15
2	राजस्थान राज्य में रजिस्ट्रर्ड व कार्यरत संस्था होने पर	10
3	नगरीय क्षेत्र में समान प्रकृति का कार्य (छात्रावास संचालन, वृद्धश्रम संचालन, अनाथालय संचालन) का अनुभव 1. अनुभव एक वर्ष का होने पर अंक –10 2. अनुभव एक वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक अतिरिक्त अधिकतम 20 अंक	20
4	संस्था की बेलेंस सीट/लेखे (उपयुक्त पाये जानें पर) पिछले पॉच वर्षो में से किन्ही दो वर्षो की (DAY-NULM अन्तर्गत गठित ALF व CLF को बैलेसशीट से शिथिलता)	10
5	DAY-NULM योजना अन्तर्गत गठित रजिस्टर्ड फेडरेशन एरिया लेवल व सिटी लेवल फेडरेशन होने पर	15
6	उपरोक्त 5 बिन्दुओं के अतिरिक्त संस्था की क्रेडिट अनुसार समिति सदस्यों की अनुशंषा पर	30

EOI के अन्तर्गत प्रमाण स्वरूप निम्न दस्तावेज सलंग्न करे :–

1. रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र
2. राज्य में कार्यरत होने के प्रमाण स्वरूप रजिस्ट्रेशन की प्रमाण–पत्र संचालित परियोजनाओं के संम्बन्ध में दस्तावेज (प्रमाण–पत्र सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
3. समान प्रकृति के कार्य किये जाने के अनुभव सम्बन्धित दस्तावेज (प्रमाण–पत्र सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
4. संस्था की बैलेस शीट सी.ए द्वारा प्रमाणित
5. DAY-NULM योजना में ALF/CLF होने पर सम्बन्धित निकाय से प्रमाण पत्र।
6. आवेदन करने वाली संस्था 50 रू के स्टाम्प पर Blacklist नहीं होने का शपथ पत्र आवेदन के साथ सलंग्न करे।

चैक लिस्ट

1. आवेदनकर्ता/संस्था को प्रत्येक दस्तावेज पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए प्रस्तुत करने होगें।
2. समान अंक प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय गठित समिति द्वारा किया जायेगा जो सभी को मान्य होगा।

Signature valid
Digitally signed by Devanand Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.09.16 11:54:44 IST
Reason: Approved

परिशिष्ठ (अ)

संचालित आश्रय स्थलों का विवरण

नगर निगम हैरिटेज जयपुर द्वारा चार आश्रय स्थलों का संचालन हो रहा है उनके नाम, पता, क्षमता तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जानी वाली संभावित वार्षिक संचालन व्यय की राशि निम्नानुसार है। उक्त कॉलम संख्या 4 में दशाई गई राशि सांकेतिक है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली राशि के अनुसार ही अनुपातिक रूप से प्रति माह संचालन व्यय का पुनर्भरण किया जाएगा लेकिन पचास हजार रूपये प्रतिमाह से अधिक देय नहीं होगा।

क्र.स.	आश्रय स्थल पूर्ण पत सहित	क्षमता	राज्य सरकार द्वारा संभावित स्वीकृति की जाने वाली राशि (लाख रू वार्षिक)
1	2	3	4
1	रेल्वे स्टेशन के पास, सदर थाने के पीछे	70	6.50
2	शहीद भगत सिंह पार्क, आदर्श नगर	30	6.50
3	विद्याधर नगर पुराना भवन जोन कार्यालय	40	6.50
4	गोविन्द देव जी मन्दिर के पास	40	6.50

आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि उक्त आश्रय स्थलों के संचालन का कार्य जहॉ है जैसा है के आधार पर दिया जाएगां। अतः आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व आश्रय स्थलों पर मौजूद सुविधाओं का भलीभाति निरीक्षण कर लें।

Signature valid

Digitally signed by Devanand Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.09.16 11:54:44 IST
Reason: Approved

चयनित संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यो का विवरण एवं शर्ते

1. आश्रय स्थल 24 घण्टे व 7 दिन (24X7) खुला रहेगा।
2. आश्रय स्थल का रख रखाव संचालनकर्ता को रखना होगा किसी भी प्रकार की टूट–फूट व चोरी हुये सामान की पूर्ति संचालनकर्त्ता द्वारा की जायेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र एवं नियम संस्थाओं पर लागू होंगे।
4. आश्रय स्थलों के संचालन हेतु आश्रय स्थल पर 3 केयर गीवर जिसमें एक महिला केयर गीवर (8 घटे की शिफ्ट में) 1 फुल टाईम मैनेजर व सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करनी होगी। कार्य में किसी प्रकार की कोताही / लापरवाही नहीं बरती जावेगी।
5. आश्रय स्थल पर नियुक्त कार्मिकों का शिफ्टवार विवरण आश्रय स्थल पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करना होगा इस विवरण में संस्था का नाम, पता दूरभाष नियुक्त कार्मिकों का नाम पता दूरभाष नं0 व शिफ्ट का विवरण होगा।
6. संस्था द्वारा लगाए जाने वाले कार्मिको (प्रबंधक, केयर टेकर एवं सफाई कर्मी आदि) को श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मय EPF/ESI देना नियमानुसार अनिवार्य होगा। EPF/ESI जमा कराने की जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी।
7. संचालनकर्ता द्वारा एक माह का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात अगले माह के बिलो के साथ देय होने की स्थिति में EPF/ESI के चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के DAY-NULM अन्तर्गत वितीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर ही संस्थाओं को कार्यादेश दिया जावेगा।
9. संस्था द्वारा लगाए गए कार्मिको के दस्तावेजो की सत्यापित प्रति (राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो आदि) नगर निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि संचालन की अवधि के दौरान किसी कार्मिक को हटाया जाता है तो उसकी सूचना निगम कार्यालय को भी देना आवश्यक होगा। ड्यूटी के दौरान अधिकृत कार्मिक के पास संवेदक संस्था द्वारा जारी परिचय पत्र रखना होगा।
10. संचालनकर्त्ता द्वारा आश्रय स्थल की (शौचालय, स्नानाघर, कमरे, हॉल एवं आश्रय स्थल के बाहर आस–पास की) सफाई स्वयं के स्तर पर करानी होगी।
11. संचालनकर्त्ता को 24 घंटे पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करानी होगी।
12. आश्रय स्थल में मेडीकल किट की व्यवस्था संचालनकर्ता द्वारा की जाएगी।
13. बीमार व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने हेतु आस-पास की सरकारी डिस्पेंसरियों से सम्पर्क स्थापित कर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
14. संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना पास के पुलिस थाने में देनी होगी।
15. आश्रय स्थल में ठहरने वाले आश्रय विहीन व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जावेगी। निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जावें। (निःशुल्क आश्रय स्थल का बोर्ड संस्था को लगाना होगा)

Signature valid
Digitally signed by Devanand Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.09.16 [illegible]1:54:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17775293

16. आश्रय स्थल में लेट–बाथ हेतु पर्याप्त पानी एवं पेयजल की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर रखनी होगी यदि पानी उपलब्ध नहीं हो तो टेंकर आदि से पर्याप्त पानी की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
17. आश्रय स्थल मे ठहरने वाले व्यक्तियों के लिये गद्दे, रजाई, कम्बल, तकिए, दरी एवं कवर नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाए जाएगें, जिनकी प्रतिदिन बिछाने व सार संभाल, धुलाई, प्रेस आदि करने का कार्य संचालनकर्ता का होगा। उक्त सामग्री को 15 दिवस में धुलाई की व्यवस्था संचालन कर्ता द्वारा की जाएगी। यदि संचालन के दौरान सामग्री में किसी प्रकार की कांट/फांट होती है तो सिलाई का कार्य संचालनकर्ता को करवाना होगा।
18. किसी भी दिन आश्रय स्थल की क्षमता से अधिक आश्रय विहीन लोगो के ठहरने की स्थिति में आवश्यक बिस्तर व अन्य व्यवस्था संचालनकर्ता द्वारा की जाएगी, इस हेतु अलग से राशि निगम द्वारा प्रदान नहीं की जावेगी।
19. हाथ धोने के लिये साबुन, हाथ पोछने के लिये तौलियें की व्यवस्था व सफाई के लिये फिनाइल व अन्य सामग्री की व्यवस्था संचालनकर्ता स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
20. संचालनकर्ता को समय–समय पर मौसमी बिमारी को देखते हुए मच्छरों/कीटों से बचाव हेतु कीटनाशक दवाओं को छिडकाव करवाना आवश्यक होगा।
21. सर्दी में तापने हेतु लकडी/कोयला/हीटर एवं अत्याधिक गर्मी में कूलर आदि की व्यवस्था संचालन कर्ता को करनी होगी।
22. आश्रय स्थल में मनोरजंन हेतु टेलीविजन का मासिक डीश रिचार्ज एवं दैनिक समाचार पत्र की व्यवस्था संचालक द्वारा की जाएगी एवं टीवी में किसी भी प्रकार की टूट–फूट या खराबी को संचालनकर्ता द्वारा ही ठीक करवाया जाएगा। टी.वी. निगम द्वारा लगवाया जावेगा।
23. आश्रय स्थलो का निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कमियां पाई जाती है तो 3 दिवस में कमियों की पूर्ति की जाकर अनुपालना रिपोर्ट निगम कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
24. आश्रय स्थल में ठहरने वाले आश्रय विहीन लोगो/बेघर परिवारों का इन्द्राज रोजाना रजिस्टर में किया जाएगा। जिसकी ठहरने वालों की प्रतिदिन की सूचना नगर निगम जयपुर हैरिटेज के DAY-NULM शाखा में भिजवाने की जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी।
25. आश्रय स्थल में संचालनकर्ता द्वारा निम्न रजिस्टरों (ठहरने वाले लोगो का विवरण रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर, स्टॉफ उपस्थिति रजिस्टर, शिकायत एवं सुझाव रजिस्टर, शेल्टर मेनेजमेंट रजिस्टर, हाउस कीपिग रजिस्टर) की उपलब्धता एवं संधारण किया जाना आवश्यक होगा।
26. संचालनकर्ता आश्रय स्थल में निवास करने वाले आश्रय विहीन लोगो हेतु पहचान पत्र या मतदाता पत्र, आधार कार्ड, बैंक में खाता खुलवाना, आवश्यक बीमा की सुविधा दिलवाना, पेंशन दिलवाने से संबंधित कार्य भी नियमानुसार अन्य विभागों के साथ सामंजस्य करके उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा।
27. कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 1 सप्ताह का नोटिस देकर आपकी कार्यादेश निरस्त की जाकर कार्यवाही की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की स्वंय की होगी।

Signature valid
Digitally signed by Devanand Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.09.16 11:54:44 IST
Reason: Approved

28. यह EOI एक वर्ष हेतु जारी की गई है जिसमें सर्वप्रथम एक वर्ष हेतु कार्यदेश दिया जावेगा तत् पश्चात निदेशालय से SUH घटक अन्तर्गत प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति होने पर द्वितीय वर्ष हेतु आदेश जारी किया जावेगा।

29. चयनित सस्थाओं को आश्रय स्थल के संचालन हेतु भुगतान स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयुपर द्वारा जारी अनुमत राशि के अनुसार मासिक आधार पर अनुपातिक रूप से प्रदत्त होगा।

30. संस्था का कार्य संतोषप्रद होने पर RTPP RULES 2013 के तहत सक्षम स्तर से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के पश्चात संस्था व नगर निगम जयपुर हैरिटेज की आपसी सहमती से उन्ही दर व शर्तो पर अनुबन्ध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

31. राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा DAY-NULM योजना की अवधि निविदा अवधि से पूर्व समाप्त होने की स्थिति में निविदा की अवधि तद्नुसार समाप्त की जा सकेगी इसमें संवेदक का कोई उर्ज मान्य नहीं होगा।

32. राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/आदेश/परिपत्रों की पालना करनी होगी।

33. यदि संचालनकर्ता द्वारा संचालन नहीं करने/मापदण्डों पर कार्य नहीं कर पाने की दशा में, कार्य किसी अन्य से करवाने पर, किया गया भुगतान Risk & Cost पर संचालनकर्ता के भुगतान में से कटौती कर किया जायेगाए जिसकी समस्त जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी।

34. संचालन मानदण्डों के अनुसार ना होने पर प्रतिदिन 500/– रूपये की कटौती की जायेगी।

35. Fire Extinguisher उपलब्ध है जिसे सुचारू रखने का ध्यान रखा जावे।

36. निगम हित/जनहित में आवश्यक होने पर नगर निगम द्वारा एक सप्ताह का नोटिस देकर निविदा को निरस्त किया जा सकेगा। जिसके संबंध में कोई उज्रदारी मान्य नही होगी।

37. उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

38. संस्थाओं द्वारा उनके स्तर पर नियुक्त कार्मिकों का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाकर विवरण की प्रति प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् आगामी माह का भुगतान किया जावेगा।

39. बिजली का बिल संस्था को समय पर जमा करवाना होगा अथवा निगम को प्रस्तुत बिलों में से कटोती की जा सकेगी।

40. आश्रय स्थल के अनुबन्ध के पश्चात यदि कोई मरम्मत/निर्माण कार्य स्वीकृत होता है, तो उस कार्य को कराने हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज स्वतंत्र रहेगा।

41. संस्था द्वारा रखे गये केयर गिवर्स, प्रबन्धक व अन्य कार्मिकों के किसी कृत्य व अन्य क्रियाकलाप/व्यवहार या कोई दुर्घटना के लिए नगर निगम जयपुर हैरिटेज उत्तरदायी नहीं होगा।

42. दीनदयाल अन्तोदय–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SUH की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

Signature valid
Digitally signed by Devanand Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.09.16 11:54:44 IST
Reason: Approved

43. द्वितीय पक्ष अपनी कार्यकलापों के आवश्यकतानुसार प्रथमपक्ष से अनुमति लेकर उक्त परिसर में अस्थाई फिटिंग, फर्नीचर व उपकरण जो संस्था की गतिविधियों के लिये उपयोगी होगे, लगा सकता है।

44. संस्था द्वारा आश्रय स्थल परिसर को केवल आश्रय स्थल संचालन के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जायेगा व उक्त परिसर में खतरनाक प्रकृति का कोई भी सामान व वस्तु भण्डारण नहीं करेगा।

45. आश्रय विहिनों हेतु Creative activity तथा मनोरजन/इन्डोर खेल की व्यवस्था रखनी होगी।

46. संस्था को सुनिश्चित करना होगा कि आश्रय स्थल पर कोई भूखा नहीं सोए। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित इन्दिरा रसोई योजना का लाभ लिया जा सकता है।

47. एक संस्था को 1 से अधिक आश्रय स्थलों का संचालन देय नहीं होगा।

48. आश्रय स्थल के संचालन हेतु EOI के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में से अन्तिम रूप से चयनित संस्थाओं को Performance Guarantee की राशि नियमानुसार जमा करवाने होगी व रूपये 500/— के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध DAY-NULM नगर निगम जयपुर हैरिटेज के साथ सम्पादित करना होगा।

49. EOI के सम्बन्ध में कोई भी विवाद के लिए क्षेत्राधिकार जयपुर शहर में स्थित न्यायालय में होगा।

50. राज्य सरकार द्वारा जारी RTPP अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 लागू होगें।

Signature valid

Digitally signed by Devanand Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.09.16 11:54:44 IST
Reason: Approved